न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575 / 2025

आदेश

बाद में
09.02.2026
12.02.2026

दिनांक 09.02.2026 को बम की धमकी के कारण अभिलेख आज कार्यालय से प्रस्तुत किया गया। इस मामले में कुल 05 अभियुक्तगण में से काराधीन अभियुक्तगण 1.जितेन्द्र सिंह, 2.निखिल कुमार गोयल एवं 3.बृजभूषण पंडित को कारा से वर्चुअली प्रस्तुत किया गया। अन्य दो अभियुक्तगण का विद्वान अधिवक्तागण के न्यायिक कार्य से अलग रहने के कारण पैरवी नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अंतर्गत अतिरिक्त साक्षी के रूप में सत्येन्द्र कुमार उर्फ सत्येन्द्र पाल, पिता तहसीलदार सिंह का परीक्षण कराने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 07.01.2026 एवं अभियुक्त निखिल कुमार गोयल की ओर से दिनांक 21.01.2026 एवं अभियुक्तगण जितेन्द्र सिंह एवं बृज गोपाल सिंह की ओर से दिनांक 21.01.2026 को दाखिल प्रत्युत्तर पर, सभी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

दाखिल आवेदन के आलोक में अभियोजन पक्ष का कथन है कि यह अभिलेख वर्तमान में अभियोजन साक्ष्य हेतु चल रहा है। उनका आगे कथन है कि साक्षी सत्येन्द्र कुमार उर्फ सत्येन्द्र पाल को आरोप पत्र में नामित साक्षी नहीं बनाया गया है, परन्त अनुसंधान के क्रम में अनुसंधानक द्वारा उसका बयान लिया गया है, जो कांड दैनिकी में उल्लिखित है। अतः निवेदन है कि न्यायहित में आवेदन में वर्णित साक्षी को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाए।

अभियुक्त निखिल कुमार गोयल, जितेन्द्र सिंह एवं बृज गोपाल की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल करते हुए विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है। अभियोजन पक्ष की ओर से एक भ्रामक आवेदन दाखिल किया गया है जो न केवल न्यायालय को

लगातार

12.02.2026

गुमराह करती है, बल्कि कानूनी पक्रिया को जटिल बनाती है और उसे न्याय से दूर ले जाती है। आवेदन में उल्लिखित कथन का आधार पूरी तरह से झूठा और सत्य से परे है। संपूर्ण कांड दैनिकी में सत्येन्द्र पाल के बयान दर्ज करने का कोई प्रमाण नहीं है। अनुसंधान के दौरान सत्येन्द्र पाल और इस मामले के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है, इसलिए उसे अनुसंधानक द्वारा साक्षी नहीं बनाया गया है। उनका आगे कथन है कि सूचक और अन्य गवाह मृतक अवधेश अग्रवाल की हत्या में शामिल है, इसलिए इस आवेदन के माध्यम से सत्येन्द्र पाल को झूठा साक्षी बनाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे है। अतः निवेदन है आवेदन उपरोक्त खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि इस मामले की प्राथमिकी वर्ष 2024 में दर्ज की गई है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से संचालित होगी। जबकि अभियोजन पक्ष के द्वारा उपरोक्त आवेदन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 348 का उल्लेख न कर द0प्र0सं0 की धारा 311 का उल्लेख किया गया है, जो एक मानवीय भूल है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस मामले में पुलिस द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जांच प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं पर पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए इस वाद में विचारित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–511706124073801 / 2025 दिनांक 01.02.2025 अंतर्गत धारा 103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम समर्पित किया गया है। उक्त समर्पित आरोप पत्र में साक्षी के रूप में सत्येन्द्र पाल उर्फ सत्येन्द्र कुमार उल्लेख नहीं किया है, जबकि पूरक कांड दैनिकी की कंडिका 33 में अनुसंधानक द्वारा 19.10.2025 को उसका बयान चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें यह तथ्य आया है कि वह मृतक के दुकान का कर्मचारी

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

सत्र वाद सं0–1575 / 2025

लगातार

12.02.2026

है तथा उसने घटना कारित करने के बाद अभियुक्तों को भागते हुए देखा था एवं उसने अपने बयान में अभियुक्तों का हुलिया बताया है। घटना के बाद वह अपने मालिक के साथ अस्पताल चला गया और उसके बाद भय की वजह से अपने गांव गंगापुर, जिला हाथरस, उत्तरप्रदेश चला गया, जिसके कारण पुलिस के समक्ष इसका बयान घटना के तत्काल बाद नहीं हो सका था। अभियोजन साक्षी संख्या–1 सियाराम शर्मा ने भी न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य में कहा है कि सत्येन्द्र कुमार जो मृतक अवधेश अग्रवाल का खाना बनाता था, ने उसे सूचना दी कि दो व्यक्तियों ने अवधेश अग्रवाल को गोली मार दी है, आप जल्दी आओ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 348 में यह प्राधानित है कि न्यायालय किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में बुला सकता है, या उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, भले ही वह आरोप पत्र के साक्षियों की सूची में न हो। अतः उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर न्यायहित में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 07.01.2026 को **स्वीकृत** किया जाता है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित साक्षी सत्येन्द्र कुमार उर्फ सत्येन्द्र पाल को साक्ष्य हेतु सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक 19.02.2026 को वास्ते अनुपालन एवं साक्ष्य।

लेखापित एवं संशोधित

(संगम सिंह)
अपर सत्र न्या0–प्रथम

निर्णय / आदेश की तिथि	12.02.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	30.01.2026
अपलोडिंग तिथि	19.02.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक